

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।
(पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह चारण, R.A.S.)

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 79/2021 (जीसीएमएस संख्या : 2021/88)
सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. नन्छुराम पुत्र श्री छोटूराम, जाति-यादव, निवासी-हीरापुरा, तहसील-जयपुर।
2. इलाहाबाद बैंक शाखा, अम्बाबाडी, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :-

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 19.05.2022

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 में ग्राम सरणाडूंगर की आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 05 बिस्वा व आ0 ख0 नं0 231 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 11 बीघा कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि.मु. नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण राजवैध साकिन जयपुर, कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान खाली है (कोई इन्द्राज नहीं है) व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में बालगोविन्द वल्द नन्दकिशोर जी राजवैध कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर दर्ज है। सम्वत् 2024-2027 की जमाबंदी में माफी के इन्द्राज को बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम नं0 5 में कृषक के रूप में बालगोविन्द वल्द नन्दकिशोर जी राजवैध कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर दर्ज किया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 230 व 231 के विक्रय पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 92 बालगोविन्द के स्थान पर नन्छूराम पुत्र छोटूराम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 182 (राहीन) के द्वारा नन्छूराम पुत्र छोटूराम (राहीन) इलाहाबाद बैंक, अम्बाबाडी, जयपुर मूर्तहीन स्वीकार हुआ। इस प्रकार



2

जमाबंदी सम्वत् 2057-2060 में नन्छूराम पुत्र छोटूराम (राहीन) इलाहबाद बैंक अम्बाबाडी, जयपुर मूर्तहीन दर्ज है। देवमूर्ति की स्थिति शाश्वत अवयस्क की मानी गई है। अतः मूर्ति के नाम अंकित भूमि किसी दीगर के नाम होना गलत है। बिना किसी सक्षम आदेशों के मंदिर की आराजी स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। अतः वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र मय स्थगन प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, जयपुर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया और आज्ञा दिनांक 06.07.2005 द्वारा प्रकरण अधीन आराजी की जमाबन्दी में भूमि माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी की होने से रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है, इस आशय का नोट अंकित किया जाकर भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाने के आदेश तहसीलदार, जयपुर को दिये गये। श्रवण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं० 1 जरिये अभिभाषक हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं० 1 ने जरिये अभिभाषक जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। तहसीलदार, जयपुर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/भूअ/रेफरेन्स/18/3680 दिनांक 29.06.2018 जवाबुल-जवाब दिया जो शामिल मिसल है।

उभय-पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-2034 के कॉलम सं० 03 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि.मु. नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण राजवैध साकिन जयपुर व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में बालगोविन्द वल्द नन्दकिशोर जी राजवैध कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर दर्ज है। सम्वत् 2024-2027 की जमाबंदी में माफी के अलावा आज को बिना किसी वैध आदेश के विलोपित होकर कॉलम नं० 5 में कृषक के रूप में बालगोविन्द वल्द नन्दकिशोर जी राजवैध कौम ब्राह्मण साकिन जयपुर दर्ज किया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 230, 231 के विक्रय पर जरिये



2

नामान्तरकरण संख्या 92 बालगोविन्द के स्थान पर नन्छूराम पुत्र छोटूराम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 182 (राहीन) के द्वारा नन्छूराम पुत्र छोटूराम (राहीन) इलाहबाद बैंक, अम्बाबाडी, जयपुर मूर्तहीन स्वीकार हुआ। इस प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2057-2060 में नन्छूराम पुत्र छोटूराम (राहीन) इलाहबाद बैंक अम्बाबाडी, जयपुर मूर्तहीन दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वास्तविक रूप से माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी की है। माफी मन्दिर/देवमूर्ति की स्थिति शाश्वत नाबालिग है और नाबालिग के हितो का इस प्रकार अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानो के विपरीत हैं। नाबालिग मूर्ति की खातेदारी आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। विचारण प्रकरण में नियमों के प्रावधानों के विपरीत राजस्व अभिलेखों में निजी खातेदारी दर्ज की है। माफी मन्दिर/देवमूर्ति की भूमि पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते है। माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी का नाम हजफ कर जमाबंदी सम्वत् 2024-2027 के कॉलम संख्या 4 भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीरदार और मालगुजार, बिस्वेदार या जमींदार, विवरण सहित) में राजस्थान सरकार तथा कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध साकिन जयपुर के नाम खातेदारी तत्पश्चात् क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 का प्रभाव 18.02.1952 को तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 23.03.1955 को प्रभावशील हुआ है। वादग्रस्त आराजी नाबालिग श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी के द्वारा धारण की गई आराजी है। नाबालिग के द्वारा अपनी खेती को चाहे जिस प्रकार के श्रम का उपयोग करते हुए खेती करवायी गई हो उसके व्यक्तिगत स्वयं के निगरानी मे खेती किये जाने के समान ही समझी जावेगी। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 (I) में स्पष्ट प्रावधान है कि खुदकाश्त भूमि वह भूमि है जिसे व्यक्तिगत स्वयं के द्वारा खेती की गई हो। धारा 2 (K) तथा धारा 2 (I) के साथ-साथ पढने से स्पष्ट है कि श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी एक शाश्वत नाबालिग देवमूर्ति के द्वारा धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव में आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते है लेकिन राजस्व कर्मियों के द्वारा अवैध रूप से मन्दिर की आराजी काश्त करने वाले काश्तकार के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर दी गई तत्पश्चात् विक्रय के फलस्वरूप क्रेता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई



२

जो अवैध होने से निरस्तनीय है। दिनांक 01.07.1963 को जागीर खालसा हुई है और मन्दिर श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु अन्य व्यक्ति बालगोविन्द के नाम दर्ज की गई है, जो कि अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया को बगैर अपनाये अप्रार्थी बालगोविन्द का नाम बिना नामान्तरकरण की कोई वैध कार्यवाही किये ही जमाबंदी 2024-2027 में दर्ज कर दिया गया जो अवैध होने से निरस्तनीय है। नाबालिग की आराजी पर काश्त किये जाने से किसी अन्य को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि माफी मन्दिर की भूमि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने के बाद राज्य सरकार में निहित होगी। अतः वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार में निहित होनी है ऐसी स्थिति में समस्त हस्तान्तरण एवं विक्रय द्वारा अन्तरणों के इन्द्राजों को निरस्त कर भूमि को पुनः माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी में निहित किया जाना नितान्त आवश्यक है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वापिस मन्दिर श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थी सं० 1 के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद चौधरी का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-2034 से पूर्व ही खातेदारी बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध, जयपुर के पूर्वजों के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही थी। सम्वत् 2015-2034 की मिसल बन्दोबस्त में "माफी मन्दिर" ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी नाम भौक्ता के कॉलम में दर्ज है, कृषक के कॉलम में श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी दर्ज नहीं है कृषक के कॉलम में बालगोविन्द का नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि ठाकुर जी की खुदकाश्त भूमि नहीं होकर "माफी" की भूमि रही है जो कि रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट की अनुसूची के अनुसार "माफी मन्दिर" की भूमियों को जागीर की ही एक किस्म मानी गयी है जो अनुसूचि के क्रम संख्या 15 पर दर्ज है। इस प्रकार जागीर की भूमि को राजस्थान सरकार के द्वारा पूर्व में ही अधिग्रहण कर लिया गया था। जागीर की भूमि के अधिग्रहण के पश्चात



(Handwritten signature)

रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट, 1952 की धारा 9 व 10 के अनुरूप कॉलम संख्या 5 में दर्ज खातेदारों को ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुरूप जागीर की भूमि में खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 5 में दर्ज कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। जिसके आधार पर उन खातेदारों की भूमि का लगान निर्धारित कर दिया गया था। गत 65 वर्षों से अधिक समय से राजस्थान सरकार द्वारा विधि अनुरूप खातेदार की हैसियत से लगान भी लिया जा रहा है तथा मिन अप्रार्थी पूर्व काबिज खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 32 वर्षों पूर्व ही क्रय करके वर्तमान में भूमि पर वैधानिक तरीके से बतौर खातेदार काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। सदभावी क्रेता के अधिकार भूमि में पैदा हो जाते हैं सदभावी क्रेता राजस्व रिकार्ड देखकर भूमि क्रय करता है। धारा 140 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अनुसार रिकार्ड ऑफ राईट का अंकन सत्य होता है। इसी पर विश्वास कर क्रेता भूमि को खरीद लेता है। खरीद के आधार पर राजस्व रिकार्ड में क्रेता का नाम बतौर खातेदार अंकित है।

“माफी” जागीर की ही एक किस्म है। भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 2 के क्लॉज (एच) में जागीर लैण्ड को परिभाषित किया गया है एवं माफी की भूमि में जागीर को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी के पूर्वज/पूर्वहितधारियों के समय से वादग्रस्त भूमि खातेदारी में चली आ रही है एवं तत्कालीन रिकॉर्ड ऑफ राईट (खसरा गिरदावरी) में अप्रार्थी के पूर्व हितधारियों के द्वारा की गई काश्त चली आ रही है, माफी मन्दिर का कोई इन्द्राज नहीं है। जिसके सम्बन्ध में मिन अप्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि की खसरा गिरदावरी एवं मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015-2034 एवं गत खसरा नम्बर की तालिका प्रस्तुत की है। इससे पूर्व मिसल हकीयत एवं चकबन्दी नहीं बनी केवल खसरा गिरदावरी बनी जिसमें सम्वत् 2002-2012 तक निरन्तर पूर्व खातेदार की निरन्तर काश्त दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सम्वत् 2015 से पूर्व कभी भी “माफी मन्दिर” के नाम दर्ज नहीं रही है। प्रथम बार सम्वत् 2015-2034 की खतौनी में कॉलम संख्या 3 में “माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी” का इन्द्राज है कॉलम 4 नाम उपभोक्ता में कोई इन्द्राज नहीं है तथा कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, निवास, श्रेणी कृषक में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी कृषक (टीनेन्ट) में “बालगोविन्द पुत्र नंदकिशोर जी राजवैध कौम ब्राह्मण सा० जयपुर” दर्ज है अर्थात् वादग्रस्त भूमि “माफी मन्दिर” की खुदकाश्त नहीं होकर दीगर/व्यक्तिगत खातेदारी “बालगोविन्द पुत्र नंदकिशोर जी राजवैध



(Handwritten signature)

कौम ब्राह्मण सा० जयपुर" के नाम दर्ज थी अर्थात् वादग्रस्त भूमि वरवक्त जागीर के समय बालगोविन्द के खातेदारी की रही है न कि मन्दिर की। जयपुर रियासत के पूर्व शासकों के द्वारा ग्राम सरनाडूंगर, बासडी एवं चक बासडी गावों की भूमि जागीर के समय में माफी ठाकुर जी विहारी जी, रामगंज, जयपुर के नाम दर्ज रही होगी, परन्तु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। राजस्थान राज्य में रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट के प्रभाव में आने से वादग्रस्त भूमियां "माफी मन्दिर" तथा कृषक के कॉलम में काश्तकार का नाम अंकित है इसलिए जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आया तब वादग्रस्त भूमि स्वतः ही कृषक की खातेदारी में दर्ज हो गयी। वादग्रस्त भूमि से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में जागीर कमिश्नर के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किये गये क्लेम को निर्णित करते हुये आय की एन्यूटी भी निर्धारित कर दी गयी है। सन् 1945 अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (15.10.1955) से पूर्व जयपुर टीनेन्सी एक्ट, 1945 अस्तित्व में था जिसका दिनांक 17.09.1945 को नोटिफिकेशन जयपुर रियासत के द्वारा जारी किया गया तब से अप्रार्थी के पूर्व हितधारी लगातार बतौर खातेदार काबिज चले आ रहे हैं। रेफरेंस प्रार्थना-पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है किसी भी सूरत में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व भू अभिलेखों में सम्वत् 2015 अर्थात् सन् 1958 में हो चुके इन्द्राज को निरस्त करने हेतु विचारण रेफरेंस 58 वर्ष की अत्यधिक समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जो अत्यधिक विलम्ब है और विलम्ब क्षम्य किये जाने का कोई सद्भाविक कानूनन कारण नहीं है अतः अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्तनीय है। अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद चौधरी ने अपनी बहस को जारी रखते हुये यह भी कथन किया कि विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि प्रत्येक न्यायालय को सर्वप्रथम सम्बन्धित विधि के प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में "माफी" आराजी पर सर्वप्रथम विचार किया जाना आवश्यक है। "माफी" जागीर की ही एक किस्म है। राजस्थान (भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण) अधिनियम, 1952 की धारा 2 के क्लॉज (एच) में जागीर लैण्ड शब्द की परिभाषा दी गई है।



Section 2(H) – jagir land

"jagir land" means any land in which or in relation to which a jagirdar has right in respect of land revenue or any other kind of revenue and includes any land held on any of the tenures specified in the first schedule.

जब सभी प्रकार की जागीरों का पुनर्ग्रहण हो गया तो माफी का भी पुनर्ग्रहण हो जाना माना जावेगा और उस पर भी वे ही प्रावधान लागू होंगे जो अन्य जागीरों पर लागू होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 (4) S.CC 441 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि Duty of the court to interpretate Law as it stands and not to comments upon what Law should have been.

रेफरेन्स मात्र ऐसे प्रकरणों में किया जा सकता है जिनमें किसी अवैध आदेश अथवा अवैध कार्यवाही को निरस्त करने की स्थिति में कोई वैध आदेश प्रभाव में आ सके। नये सिरे से अधिकार प्रदत्त करने की कार्यवाही अथवा भू-राजस्व अभिलेखों में नवीन इन्द्राज किये जाने हेतु रेफरेन्सों की कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब किसी भी राजस्व भू-अभिलेख में आज दिनांक तक माफी मंदिर श्री ठाकुर जी नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज नहीं रहा तब रेफरेन्स की प्रक्रिया में मन्दिर श्री ठाकुर जी को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक दर्ज करने के निर्देश के रूप में रेफरेन्स स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान (भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण) अधिनियम, 1952 की धारा 9 व 10 में प्रावधान है कि जहां उक्त अधिनियम प्रभाव में आने के दिन जागीर की भूमि का जो कृषक दर्ज हो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होंगे और धारा 10 में यह प्रावधान है कि जहां जागीर पुनर्ग्रहण के दिन भूमि जागीरदार की खुदकाशत में हो वहां जागीरदार को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। जहां तक जागीर (माफी) का प्रश्न है वह तो उक्त अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के साथ ही धारा 22 के प्रावधानों के आधार पर पुनर्ग्रहित हो जाती है इसलिये "माफी" को तो उक्त अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात् प्रभाव में रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जिन रेफरेन्स प्रकरणों में कॉलम संख्या 5 में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज रहा है और उनके विरुद्ध रेफरेन्स किया गया है तो न्यायालयों द्वारा ऐसे रेफरेन्स को अस्वीकार किया गया है और कॉलम संख्या 5 में दर्ज व्यक्ति की खातेदारी मानी गई है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2000 RPD 14, 189] 109 H.C., 1996 RPD S.C. 535, 2009-2010 Supp. RRT 173, 2010 (1) RRT 588, 2011 (2) RRT 809, 2011 (1) RRT 174, 2012 (2) RRT 959, 2013 (1) RRT 420, न्यायिक दृष्टान्त राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की एकल पीठ द्वारा प्रकरण संख्या 4345/2011 उनवानी सरकार बनाम मण्डल राजस्थान में दिनांक 19.03.2015 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र को खारिज किया गया है जो आर०आर०डी० 14.07.2015 पेज 370-376 पर मुद्रित है, प्रकरण संख्या स्पेशल/एल.आर./8948/2012/जयपुर उनवानी रामनिवास



(Handwritten signature)

वगैराह बनाम राजस्थान सरकार तारीख फैसला 13.10.2020 माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "1952" के अधिनियम के अन्तर्गत जागीर पुनर्ग्रहित हुई तथा काबिज काश्तकार कॉलम संख्या 5 में दर्ज कृषक स्वतः ही खातेदार हुआ" रेफरेंस खारिज किया गया, प्रस्तुत कर कथन किया कि इन न्यायिक दृष्टान्तों में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि जहां जागीर का पुनर्ग्रहण होने के समय कृषक का नाम दर्ज था वहां रेफरेंस स्वीकार किया जाकर कृषक के नाम के इन्द्राज को निरस्त कर माफी मन्दिर का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है। अर्थात् कॉलम संख्या 5 में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है, उसी का नाम राजस्व अभिलेख में दोहराया जावेगा और उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होंगे न्यायिक दृष्टान्त 2019(1) RRT 250 - State v/s Ramlal में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "1952" के अधिनियम के अन्तर्गत जागीर पुनर्ग्रहित हुई तथा काबिज काश्तकार स्वतः ही खातेदार हुआ"

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज.-6/2007/44 दिनांक 24.05.2007 में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.02.1991 के अनुसार ऐसी भूमियों को मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है जो उचित नहीं है। जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय राजस्व भू अभिलेख में किन्ही व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार, खादीमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो गया कि काश्तकार को काश्तकारी में अनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार कहलायेगा। इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र क्रमांक राज/प. 63/न्याय/स्था/05/636-689 दिनांक 06.01.2010 में परिपत्र संख्या प-3 (2) राज-6/2001/14 दिनांक 24.05.2007 की समुचित पालना के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अन्तिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी उनमें उन खातेदारों के पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तांतरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों के नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेंगे।



(Handwritten signature)

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित परिपत्रों व न्यायिक दृष्टान्त के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध (ब्राह्मण) जयपुर का नाम कॉलम संख्या 5 खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था एवं कॉलम संख्या 5 में दर्ज बालगोविन्द को राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 व तत्पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके। अतः राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान एक दूसरे के पूरक है जिसके तहत हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी की हैसियत सदैव काश्तकार की रही है। चूंकि प्रश्नागत भूमि मंदिर माफी की "खुदकाश्त" नहीं थी, जो कोई काश्तकार जागीर भूमियों पर उक्त अधिनियम लागू होने के दिन बतौर खातेदार पट्टेदार या खडगमदार अथवा अन्य किसी नाम से दर्ज था, जिसे पैतृक अधिकार तथा हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त थे, तो ऐसे व्यक्ति खातेदार काश्तकार कहलायेंगे। हस्तगत प्रकरण के राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 के कॉलम नं० 5 नाम कृषक में बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध (ब्राह्मण) जयपुर दर्ज है इसके तत्काल बाद सम्वत् 2016-2019, सम्वत् 2020-2023, 2024-2027 की जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम सरणाडूंगर के कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध का नाम बतौर खातेदार दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार बालगोविन्द ने लगभग 32 वर्ष पूर्व मिन अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया है इसके पश्चात् से क्रेता का जरिये नामान्तरकरण नाम दर्ज होकर लगातार जमाबन्दी में बतौर खातेदार इन्द्राज दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी पर क्रेता मिन अप्रार्थी का वादग्रस्त आराजी के क्रय किये जाने की दिनांक से ही बतौर सद्भाविक खातेदार लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण प्रकरण में कोई अन्यथा कार्यवाही किया जाना किसी भी अवस्था में न्यायोचित नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने भी विभिन्न निर्णयों में इसी सिद्धान्त के आधार पर यह मानते हुये कि जहां जागीर के पुनर्ग्रहण के समय कृषक का नाम दर्ज हो वहां "माफी मन्दिर" को खातेदारी अधिकार प्राप्त ना होकर कृषक को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होंगे। माफी का पुनर्ग्रहण हो चुका है। बालगोविन्द खातेदार कृषक थे तथा उनको हस्तांतरण का पैतृकी अधिकार था। जिससे मिन अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में रेफरेन्स के माध्यम से मन्दिर को नये सिरे से खातेदारी प्रदत्त नहीं की



(Handwritten signature)

जा सकती है। तहसीलदार, जयपुर ने सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होते हुये भी गलत व आधारहीन तथ्यों को अंकित करते हुये केवल गरीब काश्तकार को हैरान व परेशान करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे व खर्चा सहित निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर के विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत ने वरवक्त बहस कथन किया है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 (I) में स्पष्ट प्रावधान है कि खुदकाश्त भूमि वह भूमि है जिसे व्यक्तिगत स्वयं के द्वारा खेती की गई हो, धारा 2 (K) तथा 2 (I) के साथ-साथ पढने से स्पष्ट है कि श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी एक शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति के धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव में आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते हैं; के संबंध में हमने धारा 2 (H), 2 (I) एवं 2 (K) का अवलोकन किया जोकि ज्यों की त्यों निम्न प्रकार है:-

Section 2(H) - jagir land means any land in which or in relation to wich a jagirdar has right in respect of land revenue or any other kind of revenue and includes any land held on any of the tenures specified in the frist schedule."

Section 2(I)

- (1) khudkasht means any land cultivated personally by a jagirdar and inclides.
- (2) any land recored as khudkasht, sir, or hawala in a settlement records; and
- (3) any land allotted to a jagairdar as khudkasht under Chaper IV];

or section 2(k) :-

- (1) Land cultivated personally' with its gramatical variations and congnete expressions menas and cultivated on one's own account
 - (1) by one's own labour; or
 - (2) by the labour of any member of one's family; or
 - (3) by servants on wages payable in case or kind (but not by way of a share in crops) or by hired labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family,

उक्त धाराओं के परिपेक्ष्य में निष्कर्ष रूप से यह तथ्य उजागर होते है कि माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी भू-राजस्व प्राप्त किये जाने हेतु अधिकृत थे और वादग्रस्त आराजी को जागीरदार मन्दिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी द्वारा न तो व्यक्तिगत रूप से काश्त की है और न ही वादग्रस्त आराजी भू-प्रबन्ध रिकार्ड में खुदकाश्त अंकित है, वादग्रस्त आराजी को स्वयं के द्वारा या स्वयं के श्रमिकों से भी काश्त कराया जाना जाहिर नहीं होता है।



(Handwritten signature)

भू-प्रबन्ध से पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है जो यह जाहिर करता हो कि भू-प्रबन्ध से पूर्व वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी की रही हो अतः विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का यह कथन कि श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी एक शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति के धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव में आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते हैं, लागू नहीं होने से हम सहमत नहीं हैं। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह जाहिर करते हो कि भू-प्रबन्ध 2015-2034 से पूर्व वादग्रस्त आराजी कभी मन्दिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी की खातेदारी में रही हो अथवा कभी इनका कब्जा काश्त रहा हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) के तहत मंदिर मूर्ति अन्य व्यक्तियों के माध्यम से काश्त करा सकते हैं और ऐसे अन्य व्यक्तियों को मंदिर मूर्ति की भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, परन्तु यह प्रावधान दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था, जबकि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 लागू होने के कारण खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध (ब्राह्मण) जयपुर दर्ज होने से वादग्रस्त आराजी के निजी खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि.मु. नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण राजवैध साकिन जयपुर नाम अंकित है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी जागीर भूमि थी। अब यह प्रश्न उठता है कि जिन जागीर भूमियों पर खुदकाश्त का अंकन था, ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने पर इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जो जागीरदार "खुदकाश्त" की भूमि धारण करता था, वह उन भूमियों के खातेदार हो गये हैं लेकिन चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 के कॉलम नं० 5 नाम कृषक में बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध (ब्राह्मण) जयपुर का नाम दर्ज है और तहसीलदार, जयपुर द्वारा सम्वत् 2015 से पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी की खातेदारी में रही हो



अथवा "खुदकाशत" की दर्ज रही हो भू-प्रबन्ध 2015-2034 से पूर्व की नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2009-2011, सम्बत् 2012-2015 जो तहसीलदार, जयपुर व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है, में भी माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी का कंही बतौर खातेदार या काबिज काशतकार के रूप में इन्द्राज नहीं है, जो इन्द्राज है वे माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी से इतर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जागीर अधिनियम लागू होने से पूर्व राजस्व अभिलेखों में माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी के नाम दर्ज नहीं थी और अन्यो के द्वारा काशत की जा रही थी/कृषकों के नाम खातेदारी दर्ज थी। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अधिनियम की धारा 2(H) के अनुसार माफी भूमियों के लिए मंदिर मूर्ति की हैसियत जागीरदार की थी तथा धारा 21 एवं 22 अनुसार उक्त भूमियां भी पुनर्ग्रहण के बाद सरकार के स्वामित्व में आ गई। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 मुख्य रूप से भूमि सुधार हेतु लागू किया गया था और काशतकारों के अधिकारों के हित में इस अधिनियम में धारा 9 एवं धारा 10 का प्रावधान किया गया था। राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 13 A, 15 में भी प्रावधान जोडा गया। अतः राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 व राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान एक दूसरे के पूरक है जिसके तहत हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के पूर्व; राजस्व अभिलेख में दर्ज की काशतकारी में रही है। चूंकि प्रश्नागत भूमि मंदिर माफी की "खुदकाशत" नहीं थी, जो कोई काशतकार जागीर भूमियों पर उक्त अधिनियम लागू होने के दिन बतौर खातेदार पट्टेदार या खडगमदार अथवा अन्य किसी नाम से दर्ज था, जिसे पैतृक अधिकार तथा हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त थे, तो ऐसे व्यक्ति खातेदार काशतकार कहलायेंगे। हस्तगत प्रकरण के राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्बत् 2015-2034 के कॉलम नं० 5 नाम कृषक में बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध (ब्राह्मण) जयपुर दर्ज है इसके पश्चात् सम्बत् 2016-2019, सम्बत् 2020-2023, 2024-2027 की जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम सरणाडूंगर के कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। भू-प्रबन्ध के पश्चात् कॉलम संख्या 5 में दर्ज इन्द्राज की निरन्तरता में ही आगे की जमाबंदियों में इन्द्राज किया गया है जो स्वतः ही यह स्थिति स्पष्ट करती है कि बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण



२

अधिनियम, 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार खातेदार होने के फलस्वरूप इन्द्राज बदस्तूर दर्ज है। बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होने के इन्द्राज को मंदिर के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और मंदिर का भू-प्रबन्ध से पूर्व अथवा भू-प्रबन्ध के पश्चात् बतौर खातेदार इन्द्राज नहीं है। इस संदर्भ में राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने भी भिन्न-भिन्न निर्णयों में यह व्यवस्था दी है कि जागीर का पुनर्ग्रहण होने के समय यदि कृषक का नाम था तो वहां रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर कृषक के नाम के इन्द्राज को निरस्त किया जाकर माफी मंदिर का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों को अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने वरवक्त बहस रेफरेन्स प्रकरणों में मार्गदृष्टा होने का कथन किया है। जिससे हम सहमत हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में कलक्टर को अपनी राय के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र प0क्र:-3(2)राज-6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को ज्यों की त्यों अंकित किया जाना समीचीन समझते हैं "1. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। बलदेव बनाम मूर्ति मंदिर श्री कृष्ण जी महाराज आर.आर.डी 1994 में निर्णित किया गया है कि मंदिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के संबंध में विवाद दीवानी न्यायालयों द्वारा ही तय किया जा सकता है। मंदिर मूर्ति के खाते में पुजारी या सेवायत का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका काफी दुरुपयोग होता है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमें बाजी को रोकने के लिए परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में निम्न निर्देश दिये गये थे :-

भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जावे।



(Handwritten signature)

(ii) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मों में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।

(iii) जो जमाबंदी बन चुकी है। तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे।

2. जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मन्दिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाशत के रूप में दर्ज थी उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काशतकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है वह किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इसके नाम से काशत दर्ज होने पर काशतकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों में जिनमें मन्दिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

3. मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ-साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।

4. ऐसी भूमि के सम्बंध में जो मन्दिर माफी की थी के सम्बंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है:-

“जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार- जागीर भूमि के प्रत्येक काशतकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काशतकार को काशतकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त



(Handwritten signature)

है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

5. जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि-सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

6. वर्तमान में इस विषय में क्रम संख्या 5 पर अंकित प्रकरणों में जहां विभिन्न राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण लंबित है तथा राजस्व बोर्ड के समक्ष जो संदर्भ (reference) लंबित है। उन प्रकरणों में संबंधित अधिकृत अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए उन प्रकरणों/संदर्भों को निस्तारण करायेंगे।”

निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम/प-63/न्याय/स्था/05/636-689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलक्टर, समस्त राजस्व अपील अधिकारी को लिखा गया है कि मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी उनमें उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि-सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अतः विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का विभिन्न स्तरों पर त्रुटिवश संदर्भ हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तदनुसार ही कराया जाना सुनिश्चित करावे।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प03 (2)राज-6/07/19 दिनांक 25.11.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भू-प्रबन्ध अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पंजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 13.12.1991 की मंशा



२

के विरुद्ध की गई कार्यवाही थी। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 24.05.2007, पत्र दिनांक 06.01.2010 और परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में दिए गए दिशा-निर्देशों के विपरीत वादग्रस्त आराजी को मंदिर श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी के नाम लगाने हेतु तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र को रेफरेन्स किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाये जाने योग्य नहीं पाते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के परिपेक्ष्य में विद्वान् राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार में निहित होनी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त हस्तान्तरण एवं विरासत अन्तरणों को निरस्त कर भूमि को पुनः माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी में निहित किया जाना नितान्त आवश्यक है, विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत के कथन से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 48 में किया प्रश्न सं० 1 व इसका उत्तर अपने आप में ऐसे प्रकरणों की स्पष्टतः स्थिति स्पष्ट करता है। निर्णय दिनांक 15.07.2015 में पारित पैरा 48 का प्रश्न 1 व उत्तर ज्यों की त्यों निम्नानुसार है:-

" In order to summarize the answer, the question framed by the court and our decision on the question are stated as below :-

"Question No. (1) Whether the land in jagir, by Hindu Idol (deity) as Dolidar of Muafidar Cultivated by a person other than shebait/pujari of the deity or by hired labour or servents engaged by its shebait/pujari as a tenant of the deity, such idol being treated as a perpetual minor, will still be regarded as land held in the personal cultivation of the deity or will such land be regarded as held in the tenancy by the person cultivating such land as tenant of a deity ?

Answer:- The Question no. (1) is decided in favour of the state and against the shebait/pujari claiming the land to be saved by the Jagirs Act. 1952. The land held in jagir by hindu idol (deity) as dolidar or mafidar cultivated by a person other then the shebait/pujari of the deity personally or by hired labour or servants engaged by its shebait/pujari as a tenant of the deity, shall vest in the state, after the jagirs act 1952. The Hindu idol (deity), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the state. Such land under the tenancy of person other then shebait/pujari of hindu idol (deity) become khatedari land of such tenant. the name of hindu idol (deity) from such land had to expunged from the revenue records with shebait/ pujari having no right to claim the land as khatedar. Consequently, they had no right to transfer such lands, and all such transfers have to be treat as null and void, in contravention of the Jagirs Act, 1952 and the land under such transfers to resumed by the state.



विचारण प्रकरण में सेवायत/पुजारी के नाम आराजी को दर्ज किये जाने का विवाद नहीं है बल्कि सम्वत् 2015-2034 से पूर्व ही अन्य व्यक्ति द्वारा काबिज/काशत किये जाने के कारण एवं माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी की खातेदारी में न होकर जमाबन्दी सम्वत् 2015-2034 के कालम सं० 5 नाम कृषक में बालगोविन्द पुत्र नन्दकिशोर राजवैध (ब्राह्मण) जयपुर दर्ज रही है और इनके नाम निरन्तर जमाबन्दी में बदस्तूर रहेंगे, माफी रिज्यूम होने पर नाम भौक्ता कॉलम संख्या 3 में बतौर मालिक सरकार का इन्द्राज है जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो मार्गदर्शन दिनांक 24.05.2007, दिनांक 06.01.2010 व दिनांक 25.11.2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के परिपेक्ष्य में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हो। राजस्थान काशतकारी अधिनियम लागू होने के समय अर्थात् सम्वत् 2012 का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जो यह जाहिर करता हो कि सम्वत् 2012 में वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी के नाम रही हो। इसी प्रकार राजस्थान काशतकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व अर्थात् जागीर रिजम्पशन के समय काशत करने संबंधी प्रमाण स्वरूप सम्वत् 2009 से 2011 एवं 2012 से 2015 की खसरा गिरदावरियों में भी माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी का इन्द्राज नहीं है जबकि जयपुर स्टेट की तत्समय खसरा गिरदावरी को प्रमाणित रिकार्ड माना गया है। वरवक्त बहस अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की एकल पीठ द्वारा प्रकरण संख्या 4345/2011 उनवानी सरकार बनाम नारायण में दिनांक 19.03.2015 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र को खारिज किया गया है जो आर.आर.डी. 14.07.2015 पेज 370-376 पर मुद्रित है, को विचारण प्रकरण पर चर्चा होने का कथन किया है, के अवलोकन से हमारा विनम्र मत है कि न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 14.07.2015 के तथ्य एवं विचारण प्रकरण के तथ्य समान है इसी प्रकार स्पेशल अपील/एल.आर./8948/2012/जयपुर उनवानी रामनिवास वगैराह बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 13.10.2020 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 3833/2007 बउनवानी सरकार बनाम रामनिवास में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2012 को निरस्त किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये रेफरेन्स को खारिज किया गया है, इस न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं विचारण प्रकरण के तथ्य समान है और विचारण प्रकरण पर



(Handwritten signature)

उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांत पूर्णतः चर्या होते हैं। 2019(1) आर0आर0टी0 250 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामलाल में निर्णय दिनांक 07.08.2018 द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि एकीकरण सम्वत् 2019 में वादग्रस्त आराजी कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता के कॉलम में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी बहतमाम पुजारी श्री नारायण पुत्र भौरीलाल जाती स्वामी सा0 देह माफी उपरोक्त अंकित है तथा कॉलम संख्या 5 नाम कृषक के कॉलम में खांगा वगैराह का नाम अंकित है और खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2015-2034 में भी उपरोक्तानुसार ही अंकन किया हुआ है, राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी वादग्रस्त भूमि के माफीदार थे तथा खांगा वगैराह काश्तकार दर्ज रहे हैं। भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 प्रभाव में आने पर इसके प्रावधानों के अनुसार माफीदार जागीरदार की जागीर अधिग्रहित हो गई एवं उसके स्थान पर राज्य सरकार आ गई तथा काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार हो गये। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2021 में मंदिर मूर्ति की जागीर अधिग्रहित हो जाने से काबिज काश्तकार के खातेदार बन जाने से अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के खातेदारी में दर्ज की गई है जो विधि अनुरूप ही है। राज्य सरकार ने भी वर्ष 2007 एवं 2010 में परिपत्र जारी कर माफीदार जागीरदार की ऐसी भूमियों पर काबिज काश्तकार को खातेदार दर्ज किया जाना उचित मानते हुए उसे यथावत रखे जाने का निर्देश दिया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों एवं बाद में विरासत के आधार पर वर्तमान अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज की गई है जो विधि अनुरूप होने से हम इस रेफरेन्स में कोई सार नहीं पाते हैं एवं रेफरेन्स खारिज करना न्यायोचित समझते हैं, अतः रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

अतः उक्त विवेचनानुसार तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाते हैं। मिसल बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 5 के अनुसार दर्ज इन्द्राजों की निरन्तरता में किये गये इन्द्राज व इसके पश्चात विक्रय के नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निजी खातेदारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्याय-संगत नहीं पाते हैं। अतः तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।



आज दिनांक 19.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चारण)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर